रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092025-266243
CG-DL-E-19092025-266243

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4088] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
No. 4088] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

का.आ. 4203(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में, प्रो. (डॉ.) अभिजात चंद्रकांत शेठ को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पूर्वत्तर हो, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3260(अ), तारीख 24 सितंबर, 2020 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष, नीचे यथा विनिर्दिष्ट, को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पूर्वत्तर हो, नियुक्त किया जाता है :

"प्रो. (डॉ.) अभिजात चंद्रकांत शेठ, अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली"।"।

[फा. सं. वी.11013/01/2019एमईपी/एमई-1]

विनोद कोतवाल, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या का.आ. 3260(अ), तारीख 24 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. संख्या 3088(अ), तारीख 11 जुलाई, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

S.O. 4203(E).— In pursuance of sub-section (1) of section 4 read with sub-section (1) of section 5 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby appoints Prof. (Dr.) Abhijat Chandrakant Sheth as Chairperson of the National Medical Commission for a period of four years from the date of assumption of charge or till attaining the age of seventy years or until further orders, whichever is earlier and for that purpose, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3260 (E), dated the 24th September, 2020.

In the said notification, for paragraph (1), the following paragraph shall be substituted, namely: -

"(1) Under sub-section (2) of section 4, the Chairperson of the National Medical Commission, as specified below, is hereby appointed for a period of four years from the date of assumption of charge or till attaining the age of seventy years or until further order, whichever is earlier:

Prof. (Dr.) Abhijat Chandrakant Sheth President, National Board of Examinations in Medical Sciences, New Delhi.".

[F. No. V.11013/01/2019MEP/ME-I]

VINOD KOTWAL, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 3260(E), dated 24th September, 2020 and last amended *vide* number S.O. 3088 (E), dated the 11th July, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.